संख्या-124/2016/758/22-2-2016-17(120)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयपाल सिंह पुत्र श्री शोभाराम, निवासी जनपद-सहारनपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13262/पर-2(एम0 25-04-2016) दिनांक-03-05-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल रिट याचिका सं0-7672/2014 बाला देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के प्रकरण को तीन माह के अन्दर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 21.12.2015 का संगत अंश निम्वत उद्धृत है:-

" Accordingly, the writ petition is disposed of with the liberty to the petitioner to move an application afresh before the State Government for remission of his sentences, who may decide the same in exercise of his power under Sections 432 and 433 of Code of Criminal Procedure within a period of three months from the date of receipt of application, taking into notice of several other instances and also the judgments of Constitutional Bench decision of Hon'ble the Supreme Court in Union of India Vs. Sriharan @ Murugan & Ors. (supra), in accordance with law."

3- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जयपाल पुत्र श्री शोभाराम, निवासी-म0नं0-02बी 973, निकट दुर्गा मन्दिर, मोहल्ला नवी नगर, थाना-सदर बाजार, जनपद-सहारनपुर। बन्दी पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर तैनात था। बन्दी ने दिनांक 02.01.1994 को प्रातः लगभग 11:00 बजे बैरक के सामने बारामदे में साथी सिपाही की रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-137/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विजनौर द्वारा दिनांक 20.10.1997 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.03.2016 तक 21 वर्ष 09 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 11 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बन्दी को अपराध की दृष्टि से समयपूर्व रिहाई पर छोडा जाना उपयुक्त नहीं है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया है। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयपाल सिंह पुत्र श्री शोभाराम को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जयपाल सिंह (बन्दी संख्या-33859) पुत्र श्री शोभाराम, निवासी जनपद-सहारनपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-124/2016/758/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।